

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा

-: आदेश :-

अनुमंडल कार्यालय, शेखपुरा अन्तर्गत संपूर्ण कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु समूह ग कर्मियों के बीच अनुमंडल कार्यों का नए सिरे से आवंटन की आवश्यकता के मद्देनजर निम्नानुसार कर्मियों को उनके नाम के सामने उल्लेखित कार्य आवंटन के साथ-साथ संबंधित कार्यभारित लिपिक की अनुपस्थिति में प्रभारी लिपिक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाती है:-

| क्र | कर्मि का नाम एवं पदनाम | आवंटित कार्य | अनुपस्थित अवधि में कार्य प्रभारी | सम्बद्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर |
|-----|---|--|--|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01 | श्री मो० नासिक हसन शाकरीन, उ०व०लि० (स०लि०से०) | प्रभारी प्रधान लिपिक/उर्दू कोषांग/स्थापना / विभागीय कार्यवाही एवं अन्य कार्य, जो अन्य किसी कर्मि को आवंटित नहीं है। | श्री मुरली मनोहर, उ०व०लि० | श्री शिशुपाल |
| 02 | श्री अमर कुमार लाल, उ०व०लि० | नीलाम पत्र/आपदा प्रबंधन/राजस्व शाखा। | मो० नासिक हसन शाकरीन, उ०व०लि० (स०लि०से०) | श्री दिवाकर कुमार |
| 03 | श्री अशोक कुमार सिंह, उ०व०लि० | आर०टी०पी०एस०/बाजार समिति। | श्री मुरली मनोहर, उ०व०लि० | श्री शिशुपाल |
| 04 | श्री मुरली मनोहर, उ०व०लि० | पेशकार अनुमंडल न्यायालय/आपूर्ति/मकान किराया निर्धारण/न्यूनतम मजदूरी/CWJC/MJC/ निर्वाचन। | श्री अमर कुमार लाल, उ०व०लि० | श्री दिवाकर कुमार श्री मृत्युंजय कुमार |
| 05 | श्री सुधीर कुमार, उ०व०लि० | अनुमंडल नजारत/शपथ-पत्र/ सूचना का अधिकार/ अंकेक्षण/विधान सभा/राज्य सभा/लोक सभा/ तारांकित प्रश्न/गौशाला | श्री कुमार रविशंकर, आशुलिपिक | श्री मृत्युंजय कुमार |
| 06 | श्री कुमार रवि शंकर, आशुलिपिक | अनुमंडल गोपनीय / शस्त्र/ नकलखाना/ जनशिकायत/ लोक शिकायत/मद्य निषेध/ विविध। | श्री मुरली मनोहर, उ०व०लि० | - |
| 07 | कुमारी अन्नु प्रभा, नि०व०लि० | सामाजिक सुरक्षा पेशन/आगत/निर्गत/पारिवारिक लाभ/परवरिश योजना। | श्री सुधीर कुमार, उ०व०लि० | श्री शिशुपाल |
| 08 | श्री अनिल कुमार, आई०टी० सहायक | आर०टी०पी०एस० अपील/नकल का मिलान/ माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम/ऑनलाईन रिपोर्टिंग एवं अन्य सभी प्रकार के तकनीकी कार्य तथा सभी प्रमाण-पत्र का सत्यापन एवं चरित्र प्रमाण-पत्र | श्री कुमार रविशंकर, आशुलिपिक | श्री शिशुपाल |

सभी संबंधित कर्मि को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने नाम के सामने आवंटित कार्यानुसार प्रभार आदान-प्रदान कर लेना सुनिश्चित करें। सभी कार्य प्रभारी अपने-अपने संबंधित कार्यों का सुचारु रूप से निष्पादन हेतु उचित माध्यम यथा प्रभारी प्रधान लिपिक एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

एतद् संबंधी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाए।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागु समझा जाए।

ह०/-

अनुमंडल पदाधिकारी,
शेखपुरा

ज्ञापांक 1182 / दिनांक 23/11/17

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। व

प्रतिलिपि :- कार्यपालक दंडाधिकारी, शेखपुरा/अवर निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
शेखपुरा